संख्या-01/2022/1989406/12-5002(099)/2/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0/622/पुनर्विनियोग/2020-21, दिनांक 13-12-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू.13.00 लाख (रूपया तेरह लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

6- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2022/1989406/12-5002(099)/2/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी] प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन] लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र वी0एम0-9 (अंक 1)

पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संशोधन बजट मैनुअल का पराग्रा-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व दीये गये अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाय)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)

वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र वी0एम0-9

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित विवरणों में वास्तविक संकलन

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवंटन पर देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवंटन पर देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11 2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कार्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अभिप्रशासन योजना					
01-वेतन	4655.46	13.00	13.00	13.00	4642.46
योग	4655.46	13.00	13.00	13.00	4642.46

निम्नलिखित विवरणों में वास्तविक संकलन

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकलन हेतु वास्तविक धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11 2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कार्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अभिप्रशासन योजना					
26-आकस्मिकताओं सेवाओं हेतु अनुदान	15.00	28.00	13.00	13.00	28.00
योग	15.00	28.00	13.00	13.00	28.00

1-स्तम्भ 3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-

अ-वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9 में वास्तविक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/पाबन्दियों का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आवंटि0-304 /वि0 1- दि0-2021 दिनांक 24-12-2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(अमर चन्द)

अनु सचिव

वित्त (व्यय नियंत्रण)

(पूरन चन्द यादव)

अनु सचिव

वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1989406/12-5002(099)/2/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एन0-9 तीन प्रतियाँ में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।